प्रकरण संख्या : 35/2023
राज॰ सरकार बनाम जगदीश वगै॰
निर्णय दिनांक : 18.02.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर॰ए॰एस॰)
प्रकरण संख्या	:	35/2023
दायर दिनांक	:	13.07.2023
निर्णय दिनांक	:	18.02.2025

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राहूवास जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र रेवड जाति मीना, निवासी बाडौली तहसील राहूवास जिला दौसा
2. जगन्नाथ पुत्र रेवड जाति मीना, निवासी बाडौली तहसील राहूवास जिला दौसा
3. किशोर पुत्र घासी जाति ब्राह्मण (फौत)
   3/1. रामराय पुत्र किशोर जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बाडौली तहसील राहूवास जिला दौसा
4. हरजी पुत्र घासी जाति ब्राह्मण (फौत)
   4/1. बदरी पुत्र हरजी जाति ब्राह्मण (फौत)
      4/1/1. लक्ष्मादेवी पत्नी बदरी जाति ब्राह्मण, निवासी बाडौली तहसील राहूवास जिला दौसा
      4/1/2. राधामोहन पुत्र बदरी जाति ब्राह्मण, निवासी बाडौली तहसील राहूवास जिला दौसा
      4/1/3. शंकर पुत्र बदरी जाति ब्राह्मण, निवासी बाडौली तहसील राहूवास जिला दौसा
      4/1/4. ममता पुत्री बदरी पत्नी सूरजमल जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम राजपुरा पालवास तहसील तूंगा जिला जयपुर
      4/1/5. अनिता पुत्री बदरी पत्नी हनुमान जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम झांपदा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर
      4/1/6. रामेश्वरी पुत्री बदरी पत्नी सुरज्ञान जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील लवाण जिला दौसा
   4/2. चिरंजी पुत्र हरजी जाति ब्राह्मण, निवासी बाडौली तहसील राहूवास जिला दौसा
   4/3. पुन्या पुत्र हरजी जाति ब्राह्मण, निवासी बाडौली तहसील राहूवास जिला दौसा
   4/4. नारायणी पत्नी हरजी जाति ब्राह्मण, निवासी बाडौली तहसील राहूवास जिला दौसा
5. जगदीश पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण, निवासी बाडौली तहसील राहूवास जिला दौसा
6. प्रभूदयाल पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण, निवासी बाडौली तहसील राहूवास जिला दौसा
7. रामचन्द्र पुत्र श्रीनारायण जाति ब्राह्मण, निवासी बाडौली तहसील राहूवास जिला दौसा
8. गजानन्द पुत्र श्रीनारायण जाति ब्राह्मण, निवासी बाडौली तहसील राहूवास जिला दौसा
9. रामेश्वर पुत्र श्रीनारायण जाति ब्राह्मण, निवासी बाडौली तहसील राहूवास जिला दौसा
10. सीताराम पुत्र श्रीनारायण जाति ब्राह्मण, निवासी बाडौली तहसील राहूवास जिला दौसा
11. ग्यानी पत्नी श्रीनारायण जाति ब्राह्मण (फौत)

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:39:26 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राज॰ काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज॰)

प्रकरण संख्या : 35/2023
राज० सरकार बनाम जगदीश वगै०
निर्णय दिनांक : 18.02.2025

—: निर्णय :—

यह प्रकरण मा० न्यायालय अति० जिला कलक्टर दौसा द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बाडौली तहसील राहूवास के रिकॉर्ड जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2073 की खाता संख्या 15 के अनुसार खसरा नम्बर 64, 68, 69, 73, 74 कुल किता 5 कुल रकबा 24 बीघा भूमि जगदीश जगन्नाथ पिता रेवड कौम मीना सा० बाडौली राहिन किशोर हरजी पिता घासी हिस्सा 2/9 हि०ब० चिरंजी पुन्या पिता व नारायण पत्नी हरजी हिस्सा 1/3 जगदीश प्रभूदयाल पिता मूलचन्द हिस्सा 4/9 कौम ब्राह्मण सा० मोहनपुरा मुर्तहीन दर्ज है। वादग्रस्त आराजी ग्राम बाडौली तहसील राहूवास के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2073 के खाता संख्या 14 के अनुसार खसरा नम्बर 66, 70, 71 कुल किता 3 कुल रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा भूमि जगदीश जगन्नाथ पिता रेवड कौम मीना सा० बाडौली राहिन रामचन्द्र, गजानन्द, रामेश्वर, सिताराम पिता श्रीनारायण व ग्यानी पत्नी स्व० श्रीनारायण कौम ब्राह्मण निवासी मोहनपुरा मुर्तहीन के नाम दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वजों को अपने खातेदारी भूमि को किसी भी सवर्ण जाति के लोगों को रहन/विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जो कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, उनको व उनके पूर्वजों को भी राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् बने नियमों के अन्तर्गत रहन विक्रय करने का कानूनी अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 व मृत्तक अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के वारिसों के पूर्वजों द्वारा अनूसूचित जनजाति के व्यक्तियों से अवैधानिक रूप से भूमि रहन/क्रय की जाकर कृषि कार्य के रूप में उपयोग किया जाकर परिवारजन सहित निवास किया जा रहा है, जो कि नियमों के तहत् गैर कानूनी है। प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वज सुकदेवा गुलाबा मीनान द्वारा सम्वत् 1955 में 61 बीघा भूमि 2 वर्ष के लिए 61 रुपये में रहन रखकर यह इकरारनामा लिखा है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 व मृत्तक 3 व 4 के वारिसों के पूर्वज गोपाल ब्राह्मण को 2 वर्ष में ब्याज सहित पूरी राशि जमा नहीं कर पाई तो यह भूमि मोल माला कलाम अर्थात् विक्रय की हुयी गोपाल की समझी जावेगी। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वजों द्वारा रहन/बेचान करना अवैधानिक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रश्नगत आराजी में अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 11 के नाम राजस्व रिकॉर्ड से हज्फ किया जाकर सिवायचक राजकीय भूमि घोषित करने के आदेश फरमाये जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं ... मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी सम्पत्ति है, जो राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जगदीश, जगन्नाथ पिसरान रेवड के नाम दर्ज है। इससे पूर्व उक्त भूमि रेवड पुत्र पैमा के नाम दर्ज है जो रेवड को विरासत में प्राप्त हुयी है। उक्त भूमि पुश्तैनी सम्पत्ति है, जिसको किसी भी प्रकार से रहन, बेचान, बैय, [illegible] या अन्तरण, बंधक करने का रेवड का कोई हक अधिकार नहीं था। अप्रार्थी [illegible] अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं किन्तु संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य हैं, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने पुश्तैनी सम्पत्ति में से अपना हिस्सा कभी भी अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 11 या उनके पूर्वजों को नहीं किया है। यदि कोई रहन या किसी प्रकार का अन्तरण रेवड द्वारा किया गया है तो यह केवल उसके हक व हिस्से तक ही लागू होता है। प्रार्थी द्वारा मौके का वास्तविक रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:39:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

से भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है और न ही इस बाबत् ऐसे कोई दस्तावेज फोटोग्राफ आदि प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये हैं।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3/1, 4/1 लगायत 4/4 व 5 लगायत 10 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रश्नगत पर आराजी अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 अपने पूर्वजों के समय से पीढी दर पीढी अनवरत अर्सा करीब 100–125 वर्षों पूर्व से बहैसियत स्वामी के काबिज होकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रश्नगत आराजी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कानून दिनांक 15.10.1955 के प्रभाव में आने से काफी पहले उक्त भूमियों के पूर्व खातेदारान सुखदेवा, गुलाबा, सांवता पटेल कौम मीनगान द्वारा एक लिखावट बाबत् रहन/बेचान अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 के पूर्वजों के हक में तहरीर कर कब्जा आराजीयात पर अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 के पुरखान गोपाल वगै. के हक में बैशाखा बुदी 9 सम्वत् 1955 अर्थात् सन् 1898 में समक्ष गवाहान गोपालदास महंत तथा नारायण गणेश ब्राह्मण साकिन जीतपुर व गणेश पटवारी कल्लावास तथा बलदेवदास स्वामी की मौजुदगी में लिखवाया जाकर कब्जा सुपुर्द कर दिया। तब से अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 अपने पिता परपितामह के जमाने से आराजियात पर काबिज है। बन्दोबस्त की कार्यवाही के भी पूर्व से ही काबिज है। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 व उनके पूर्वजों द्वारा इस भूमि में पुख्ता रिहायशी मकानात मन्दिर देवालय बगीची तथा बाडे बेताडे बाउण्ड्रीबाल इत्यादी बना रखे हैं जो मय परिवार के यहां निवास कर रहे हैं। प्रश्नगत आराजी धारा 42 के प्रभाव से बाधित नहीं होगी। प्रश्नगत आराजी पर अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 सम्वत् 1955 अर्थात् 1898 में रहननामे/बेचान की कार्यवाही से कब्जे में आये हैं। धारा 42 का प्रभाव दिनांक 01.05.1964 के पश्चात् किये गये संव्यवहारों पर ही लागू होगा न कि पहले की गयी कार्यवाहियों पर। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 व उनके पूर्वज काश्तकारी कानून के प्रभाव में आने से पहले से ही इन भूमियों पर काबिज हैं। इसलिए एडवर्स पजेशन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो गये हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को खातेदारी अधिकारी काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63(4) के तहत् विलुप्त हो चुके हैं तथा अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 प्रश्नगत आराजी के खातेदार व काबिज काश्तकार हैं। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 व उनके बुजर्गान द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वजों से यह आराजी भूमि धारा 42 के प्रभाव से बाधित नहीं होने से व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व का किया गया रहन/बेचान (संव्यवहार) वैध है। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 व उनके पूर्वजों ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वजों से वैध रूप से उक्त आराजीयात रहन/क्रय की जाकर 100–125 वर्षों पूर्व से पीढी दर पीढी काबिज रहकर अनवरत स्वामित्व व आधिपत्य बदस्तुर चला आ रहा है तथा परिवारजन सहित कई मकानात इत्यादी बनाकर निवास कर जीवन निर्वाह किया जा रहा है। प्रश्नगत आराजी बाबत् प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को इस आशय से पाबन्द करवाने के अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 अधिकारी हैं कि उनके पूर्वजों द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व का किया गया रहन/क्रय (संव्यवहार) वैध है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को विशेष हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 को खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जावे एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 की बतौर स्वामित्व व आधिपत्य वाली उक्त आराजीयात कृषि भूमियों में दखलन्दाजी नहीं करने तथा बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं फसल प्राकृतिक पैदावार वृक्ष मकानात बोरिंग इत्यादि में नुकसान कारित नहीं करने व कराने से प्रार्थी को स्थायी तौर से प्रतिबंधित फरमाये जाने के आदेश प्रदान कर अनुगृहीत करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:39:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की। अपनी लिखित बहस में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

गलत तथ्यों पर आधारित होना बताया एवं प्रार्थी द्वारा प्रकरण में कोई पंजीकृत दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 3/1, 4/2 लगायत 4/4 व 5 लगायत 10 के अधिवक्ता ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 व उनके पूर्वजों ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वजों से वैध रूप से उक्त आराजीयात रहन/क्रय की है तथा 100–125 वर्षों पूर्व से पीढी दर पीढी काबिज हैं एवं परिवारजन सहित कई मकानात इत्यादी बनाकर निवास कर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विशेष हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 को खातेदार काबिज काश्तकार उद्घोषित् किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रश्नगत आराजी ग्राम बाडौली वर्तमान तहसील राहूवास स्थित खसरा नम्बर 64, 68, 69, 73, 74 कुल किता 5 कुल रकबा 24 बीघा एवं खसरा नम्बर 66, 70, 71 कुल किता 3 कुल रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 के नाम हज्फ करवाना चाहता है एवं प्रश्नगत आराजी को राजकीय सिवायचक भूमि घोषित करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत आराजी को अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा सवर्ण जाति के लोगों को रहन/विक्रय करने का आक्षेप लगाया गया है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वज सुकदेवा गुलाबा मीनान द्वारा सम्वत् 1955 में 61 बीघा भूमि 2 वर्ष के लिए 61 रुपये में रहन रखकर इकरारनामा लिखा है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 व मृत्तक 3 व 4 के वारिसों के पूर्वज गोपाल ब्राह्मण को 2 वर्ष में ब्याज सहित पूरी राशि जमा नहीं कर पाई तो यह भूमि मोल माला कलाम अर्थात् विक्रय की हुयी गोपाल की समझी जावेगी। इस प्रकार प्रार्थी नें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वजों द्वारा रहन/बेचान करना अवैधानिक बताते हुए प्रश्नगत आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 के नाम हज्फ करने एवं प्रश्नगत आराजी को राजकीय सिवायचक भूमि घोषित करने का अनुतोष चाहा है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब में प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी सम्पत्ति होना एवं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जगदीश, जगन्नाथ पिसरान रेवड के नाम दर्ज होने का कथन किया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कथन है कि पूर्व में उक्त भूमि रेवड पुत्र पैमा के नाम दर्ज थी जो रेवड को विरासत में प्राप्त हुयी थी। जिसको किसी भी प्रकार से रहन, बेचान, बैय, बख्शीश या अन्तरण, बंधक करने का रेवड का कोई हक अधिकार नहीं था। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं किन्तु संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य हैं, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने पुश्तैनी सम्पत्ति में से अपना हिस्सा कभी भी अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 11 या उनके पूर्वजों को नहीं किया है। यदि कोई रहन या किसी प्रकार का अन्तरण रेवड द्वारा किया गया है तो यह केवल उसके हक व हिस्से तक ही लागू होता है। अप्रार्थी संख्या 3/1, 4/1 लगायत 4/4 व 5 लगायत 10 ने अपने जवाब में प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 की अपने पूर्वजों के समय से कब्जे काश्त की भूमि होना बताया है। अप्रार्थी संख्या 3/1, 4/1 लगायत 4/4 व 5 लगायत 10 का कथन है कि प्रश्नगत आराजी पर अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 सम्वत् 1955 अर्थात् 1898 में रहननामा [illegible] की कार्यवाही से कब्जे में आये हैं। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 व उनके पूर्वजों ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वजों से वैध रूप से उक्त आराजीयात रहन/क्रय की है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 अनुसार ग्राम बाडौली स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 64, 68, 69, 73, 74 कुल किता 5 कुल रकबा 24 बीघा भूमि जगदीश जगन्नाथ पिता रेवड कौम मीना सा० बाडौली राहिन किशोर हरजी पुत्र घासी हिस्सा 2/9 हि०ब० बद्री चिरजी पुन्या पिता हरजी व नारायणी पत्नी स्व० हरजी हिस्सा 1/3 जगदीश प्रभूदयाल पिता मूलचन्द हिस्सा 4/9

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:39:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

कौम ब्रा० सा० मोहनपुरा मुर्तहीन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम बाडौली स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 66, 70, 71 कुल किता 3 कुल रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा भूमि जगदीश जगन्नाथ पिता रेवड कौम मीना राहिन रामचन्द्र, गजानन्द, रामेश्वर, सीताराम पिता श्रीनारायण व ग्यानी पत्नी स्व० श्रीनारायण सा० मोहनपुर मुर्तहीन कौम ब्राह्मण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त जमाबन्दियों के अवलोकन से प्रार्थी के इस कथन की पुष्टि होती है कि प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जो कि अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, की खातेदारी भूमि है, इसके साथ ही उक्त भूमि अनुसूचित जनजाति से भिन्न वर्ग के लोगों अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 11 के पक्ष में रहन दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि प्रश्नगत आराजी अनुसूचित जनजाति के लोगों अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वजों ने सम्वत् 1955 में रहन रखकर इकरारनामा लिखा था किन्तु अपने इस कथन के समर्थन में प्रार्थी ने कोई मूल रिकॉर्ड/रजिस्टर्ड इकरारनामा/विक्रय–पत्र न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है। पूर्व में न्यायालय द्वारा तहसीलदार राहूवास से मूल रिकॉर्ड, जमाबन्दी एवं प्रकरण में रजिस्टर्ड इकरारनामा/विक्रय–पत्र पेश करने बाबत् निर्देशित किया गया था। इस संबंध में तहसीलदार राहूवास ने अपने पत्रांक 1517 दिनांक 10.05.2022 द्वारा अवगत कराया कि कार्यालय में कोई रजिस्टर्ड इकरारनामा/विक्रय–पत्र/रहननामा नहीं है। प्रार्थी अपने प्रस्तुत वादपत्र में लगाये गये आक्षेपों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफ़ल रहा है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड़ में प्रश्नगत आराजी की खातेदारी अनुसूचित जनजाति के लोगों अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है एवं अनुसूचित जनजाति से भिन्न वर्ग के लोगों अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 11 के पक्ष में रहन दर्ज है। इस प्रकार प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मात्र व्यक्तिगत रहन के नोट के आधार पर प्रश्नगत आराजी का अवैध बेचान माना जाकर प्रश्नगत आराजी के मूल खातेदारों के खातेदारी अधिकार विलोपित कर प्रश्नगत आराजी को राजकीय सिवायचक भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य न होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार राहूवास को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:39:26 IST
Reason: SelfAttested